पत्रांक 15/जी 1–02/2021
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना।
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
बी0एन0 मंडल विश्वविद्याल, मधेपुरा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।

पटना, दिनांक 2022

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के अंतर महंगाई भत्ता/नियमित सेवान्त लाभ/अंतर महंगाई राहत एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु वेतनादि/गैर–वेतनादि मद में रूपये 114,82,03,544/– (एक सौ चौदह करोड़ बेयासी लाख तीन हजार पाँच सौ चौवालीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के राज्यादेश संख्या–15/जी 1–01/2021–146 दिनांक 28.01.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों, अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक/घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के अंतर महंगाई भत्ता/नियमित सेवान्त लाभ/अंतर महंगाई राहत एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु वेतनादि/गैर–वेतनादि मद में कुल रूपये 401,41,79,431/– (चार सौ एक करोड़ एकतालीस लाख उनासी हजार चार सौ एकतीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत राज्य के निम्नांकित परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत/सेवानिवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के अंतर महंगाई भत्ता/नियमित सेवान्त लाभ/अंतर महंगाई राहत एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु वेतनादि/गैर–वेतनादि मद में भुगतान हेतु राज्यादेश संख्या 146

दिनांक 28.01.2022 की कंडिका 04 में अंकित शर्त्तों एवं बंधेजो के अधीन विश्वविद्यालयवार निम्नवत् राशि विमुक्त की जा रही है :–

कमांक	विश्वविद्यालय का नाम	अतिथि शिक्षक भुगतान हेतु विमुक्त की जा रही राशि	माह जुलाई, 2021 से फरवरी, 2022 तक अंतर महंगाई भत्ता हेतु वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही राशि (17 प्रतिशत से 31 प्रतिशत)	वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही कुल राशि (2+3)	माह फरवरी, 2022 के लिए नियमित सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु गैर–वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही राशि	माह जुलाई, 21 से फरवरी 2022 तक अंतर मंहगाई राहत हेतु गैर–वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही राशि (17 प्रतिशत से 31 प्रतिशत)	गैर–वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही कुल राशि (स्तम्भ 5+6)	वेतनादि / गैर–वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही कुल राशि (स्तम्भ 4+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	0	70270124	70270124	0	0	0	70270124
2	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0	77364458	77364458	98111514	0	98111514	175475972
3	बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	0	82186567	82186567	0	0	0	82186567
4	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	0	149334039	149334039	246796429	0	246796429	396130468
5	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	41120000	41701337	82821337	32685138	0	32685138	115506475
6	मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	0	1830263	1830263	0	0	0	1830263
7	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	0	165475775	165475775	85499496	0	85499496	250975271
8	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	0	42905327	42905327	0	0	0	42905327
9	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	0	0	0	0	12923077	12923077	12923077
कुल राशि		**41120000**	**631067890**	**672187890**	**463092577**	**12923077**	**476015654**	**1148203544**

स्तम्भ 5 में वर्णित गैर वेतनादि मद की राशि से उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के साभ–साथ इस अवधि में उद्भूत अन्य देय पावनाओं यथा उपादान, अर्जितावकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जा सकेगा।

3. अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु विमुक्त की जा रही राशि के भुगतान में राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 925 दिनांक 13.04.2021 में अंकित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. वर्त्तमान में विमुक्त राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि/गैर वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्त्तो एवं बंधेजो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा :–

(i) अंतर महंगाई भत्ता/अंतर महंगाई राहत/नियमित सेवान्त लाभ भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ii) दिनांक 01.01.1996 के बाद तथा दिनांक 19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1976 के धारा 58 (10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधी परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021–22 में विमुक्त राशि से जिन शिक्षकों का भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनयम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 35 की उप धारा – 1 (ii) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उप धारा 1 (ii) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(iv) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 में अंकित निदेशों एवं शर्त्तो के आलोक में तथा उक्त संकल्प में स्वीकृत वेतन स्तर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(v) राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 592, दिनांक 06.03.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1871 दिनांक 24.08.2019 तथा सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 593 दिनांक 06.03.2019 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जाएगा।

(vi) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निदशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वांछित अर्हत्ता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(vii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा– (02) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है, जो दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा ओयाग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(viii) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक–01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिये निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्त्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढ़ील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(ix) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(x) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(Xi) वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी उपलब्ध करायी गयी राशि से विभाग से आदेश प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(Xii) विमुक्त की गयी नियमित सेवान्त लाभ की राशि में से देयत्ता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो विश्वविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये बकाये सेवान्त लाभ का भुगतान विभागीय पत्रांक 699, दिनांक 19.03.2019 द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में वेतन सत्यापन कोषांग से पूर्व अंकेक्षण कराकर किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्ति होकर कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध भुगतान अनुमान्य हो।

(xiii) स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन सत्यापन कोषांग से संशोधित अद्यतन वेतन पुर्जा निर्गत होने तक 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर अवशेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(xiv) अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापनोपरान्त ही पेंशनादि का भुगतान होगा। वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापन न होने पर औपबंधिक सेवान्त लाभ/पेंशन देय होगा।

(xv) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा अंगीभूत एवं घाटानुदानित महाविद्यालय में स्वीकृत पद अंतर्गत विधिवत् रूप से नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकों का वेतनानुदान देय होगा। घाटानुदानित संबद्धता प्राप्त शास्त्री एवं उपशास्त्री महाविद्यालयों के

सेवानिवृत्त कर्मियों को नियमित सेवान्त लाभ का भुगतान सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 9726/2017 डा0 जितेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य में दिनांक 23.07.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में किया जाएगा।

(xvi) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जाएगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा –35 (3) तथा 52 (3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामलों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम– 35 (3) एवं 52 (6) के अंतर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाई की जायेगी एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

5. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या–वे0स0को0 4657/2013–57 दिनांक 13.02.15 में दिये गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन दिनांक 28.02.15 तक वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, मार्च 2015 से उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत राशि कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया है। तदनुसार ही वैसे शिक्षकों को कटौती सहित भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जाएगी।

6. विमुक्त की जा रही राशि से सेवानिवृति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम मे निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

7. विमुक्त की जा रही राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस0एल0पी0 संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा अन्तर्लीनीकरण किये गए कर्मियों का ही नियमित वेतन भुगतान किया जायगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या 1188/2018 एवं अवमाननावाद संख्या 2199/2018 में दिनांक 11.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिन कर्मियों का सामंजन/अन्तर्लीनीकरण किया गया है, उनके बकाये वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सेवान्त लाभ के लिए विमुक्त की जा रही राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (C) No 1188/2018 in C.A. No-2703/2017 में दिनांक 12.02.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त कर्मियों का पेंशन भुगतान भी नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलसचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8. राशि की निकासी के क्रम में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र कोषागार को दिया जाएगाः–

(क) " चतुर्थ चरण अंतर्गत महाविद्यालय में माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/1997 में दिनांक 12.10.2004 को पारित न्यायादेश के पश्चात सामंजित किये गये कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों का विपत्र नहीं है।"

(ख) " न्यायामूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग के अनुशंसा के आलोक में सिविल अपील संख्या 2703/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निदेश के उपरान्त सामंजित कर्मियों के नियमित वेंतन अंतर्गत अन्य अतिरिक्त कर्मियों का विपत्र नहीं है।"

9. विमुक्त की जा रही राशि से विश्वविद्यालय कर्मियों के भुगतान में विमुक्ति आदेश संख्या 1955 दिनांक 13.09.2021 के साथ संलग्न सारणी एवं पूर्व में दी गयी अन्य सारणियों (जिसमें कर्मियों की संख्या का उल्लेख होता है) में अंकित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या का निश्चितरूपेण ध्यान रखा जाए। सारणी में अंकित संख्या से अधिक शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

10. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का व्यय वेतन/पेंशन मद में ही किया जाएगा।

12. विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

13. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 6487 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में विमुक्त की जा रही राशि संबंधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खातों में उपलब्ध करा दी जाएगी।

14. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक–15/जी 1–01/2021 537/ पटना,दिनांक 10.03./2022

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय–व्यय पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–09 वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/ कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ एवं मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा

पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग/ सभी सहायक, प्रशाखा–14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आई0टी मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

10.03.22

(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा